

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट
फोन नं.-07632 240334 ई मेल-gm_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 1045/तक/मप्रग्रासप्रा/2024
 प्रति,

बालाघाट दिनांक 16/05/2024

वनमंडलाधिकारी
 दक्षिण (सा.) वनमंडल
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

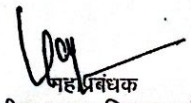
विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत किमी. 45 ऑफ टी-02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।
 (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022)

संदर्भ :- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ-5/1262/2023/10-11/1100 भोपाल दिनांक 19.02.24
 2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./6-MPR 023/2023-BHO/ दिनांक 12.02.2024

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारीयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The Point- wise reply of this office EDS dated 22.11.2023 through online Portal.	दर्शित बिन्दु के अन्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2827 बालाघाट दिनांक 20.12.2023 द्वारा EDS पत्र दिनांक 22.11.2023 के संबंध में 05 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई थी।
2.	The consolidated report of conserved CF as desired by Regional Office, Bhopal.	दर्शित बिन्दु वनमंडल से संबंधित है।
3.	After examining the area proposed for CA, it appears that there is encroachment on the Proposed area and necessary plantation can not be done on this area by Forest Department. The State Govt. Shall provide CA area free from all encumbrances..	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र में संशोधन किया गया है। पूर्व में प्राप्त ग्राम बकैरा खसरा नं. 2/1, 73 रकबा क्रमशः 10.964 हेक्टे., 7.374 हे. कुल रकबा 16.938 हे. में अतिक्रमण होने के कारण पुनः न्यायालय कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र. के संशोधित आदेश रा.प्र.क्र./0031/अ-59 वर्ष 2022-23 दिनांक 14 मार्च 2023 आदेश अनुसार खसरा नं. 2/1 में रकबा 10.964 हे. में से 6.216 हे., खसरा नं. 73/2 रकबा 5.974 हे. में से 3.722 हे. तथा खसरा नं. 88/1/1 कुल रकबा 48.853 हे. में से 7.00 हे. कुल 16.938 हे. राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट को उपलब्ध कराई गई। उक्त राजस्व भूमि की KML files, जियो रिफरेंस मॅप, टोपो सीट एवं कलेक्टर जिला बालाघाट का आदेश परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
4.	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Therefore, approval of the NBWL shall be submitted prior to Stage-I approval.	दर्शित बिन्दु के संबंध में लेख है कि किमी. 45 ऑफ टी-02 से कट्टीपारकला मार्ग को वाईल्ड लाईफ क्लियरेंस के लिए परिवेश पोर्टल पर दिनांक 07.03.2024 को अपलोड किया गया है। जिसका प्रकरण क्र. WL/MP/ROAD/465293/2024 (New) है। मार्ग के 3760 मीटर लंबाई का भाग कान्हा-नागझीरा- ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कारीडोर के अंतर्गत आ रहा है। प्रस्तावित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र. द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत वन्य प्राणीयों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु Mitigation Plan Wild Life Clearance हेतु कार्य। पत्र क्र. 812/बालाघाट दिनांक 04.04.2024 को प्रेषित किया गया। Mitigation Plan के तहत मार्ग के कारीडोर क्षेत्र में अण्डर पास (स्लेब कलवर्ट) संकेतक बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड एवं स्पीड ब्रेकर का कार्य सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है।


 महाप्रबंधक
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

(2)

पृ. क्र. 1046/तक/मप्रग्रासविप्रा/2024
प्रतिलिपी:-

बालाघाट, दिनांक 16/05/2024

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।


महप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट